

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मांगूराम बनाम छीतर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

310
2021

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

02/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पों. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/07/2021 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने उज्र प्रकट करने का अवसर उपलब्ध है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है |

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/07/2021 में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुये न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे 30 दिवस में दोनों पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करें | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 02/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |